(c) whether ULFA had links with LTTE, AISSF and Nortn East Insurgent groups; and

(d) if so, what follow-up action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) Yes, Sir, such a statement was made.

(c) Yes, Sir.

(d) The armed forces launched Operation Rhino in aid of the civil administration of Assam. Some section of ULFA has offered to find a negotiated settlement within the frame work of the Indian Constitution and to abjure violence.

मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3112. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवाद की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था की स्थिति तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कई जटिल आर्थिक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने प्रभावित जिलों के लोगों को तुरन्त राहत उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है । योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 71875.37 लाख रुपये की कुल आवश्यकता है । इस बारे में इस इस मंत्रालय में विचार-विमर्श किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की संयुक्त समन्वय समिति (जे. सी.सी.) द्वारा जांच की जाएगी तथा उसके बाद संबंधित सरकारों द्वारा अपनी आठवीं योजना प्रस्तावों में उसका समावेश किया जाएगा । योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इन प्रस्तावों पर अनुमोदित केन्द्रीय सहायता फार्मूलों के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में पुलिस बल में वृद्धि

3113. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से 4,200 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त अस्थाई वृद्धि किये जाने के किसी प्रस्ताव को सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि मध्य प्रदेश होम गार्ड अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को उस राज्य में होम गार्ड बल की नफरी में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है, उस राज्य में होम गार्ड बल की नफरी में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति न दिये जाने का क्या औचित्य है; और

(घ) पुलिस बल में 4,200 पुलिस कर्मियों की अस्थाई वृद्धि को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब): (क) से (घ) पुलिस बल की स्वीकृत संख्या में 4200 पुलिस कार्मिकों की अस्थाई वृद्धि करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

मध्य प्रदेश में होम गार्डस की प्राधिकृत संख्या 17,000 थी। 1987 में गृह मंत्रालय ने चुनिन्दा आधार पर होम गार्डस की लक्षित संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया था। अगस्त, 1990 में मध्य प्रदेश सरकार को लक्षित संख्या में स्थाई रूप से 1700 की वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई थी।

तदोपरान्त, मध्य प्रदेश सरकार से होम गार्डस की स्वीकृत संख्या में 4200 होम गार्डस की वृद्धि करने का प्रस्ताव हुआ था तथा भारत सरकार द्वारा 1991 के लोक सभा चुनावों तथा संबंधित कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए उसका अनुमोदन किया गया था।

Relief measures for Kashmiri migrants

3114. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps Government have taken so far to settle the Kashmiri migrants on a quasi-permanent basis;

(b) the efforts made by Government to create conducive atmosphere in Kashmir to enable the migrants to return to their homes;

(c) the nature and amount of financial assistance given by Government to migrants settled at various places in Jammu, Punjab and Delhi during the last two years; and

(d) what are the special facilities being given to the children of migrants for their education in medical and engineering colleges in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) The Union Government has not contemplated rehabilitation of the Kashmiri migrants outside the Valley. The Government is making all efforts to improve the condition in the Valley to enable the safe return of the migrants.

In Jammu, about 6,000 families have been accommodated in tented and built up accommodation. Other families have made their own arrangements for accommodation. In Jammu, eligible families are paid a monthly cash relief of a maximum of Rs. 1000/- per family of four or more members and a monthly dry ration @ 9 Kg. Rice, 2 Kgs. Atta per head and one Kg. sugar per family cost, Table fans and ground sheets have been provided in the tented accommodation.

In Delhi, about, 1,500 persons are staying in camps while others have made their own arrangements for accommodation. Those staying in camps are paid a monthly cash relief of a maximum of Rs. 500/- per family of four or more members and are provided with monthly ration costing about Rs. 500/-. They have also been provided with one time kitchen-cum-bedding kit.

The eligible families staying outside the camps are paid monthly cash relief of maximum of Rs. 1000/- per family of four or more members.

The Government of Punjab has intimated that eligible migrants are being paid Rs. 460/- per month per family of four or more members in addition to one time grant of Rs. 860/- for purchase of utensils and beddings etc.

Instructions were issued for admission of migrant students of the Regional Engineering College Srinagar and Government Medical College, Srinagar, in colleges in Jammu and other parts of the country.